(f) when was the last payment received from Libya and for how long the arrears are pending?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir. I.A.A.I. has entered into a collaboration agreement with R.C.C. a Libyan Government undertaking on 12-2-86 to depute Indian experts/technicians for cirport projects in Libya.

(b) So far 89 experts and technicians have been deputed to Libya under this agreement and all are working there,

(c.) I.A.A.I. have received full payment in respect of salaries of experts| technicians upto June, 1987. For the period beyond that and for 15 per cent margin money, the matter is being pursued with the Libyan authorities. These are current payments and the bills are under process.

(d) The present agreement does not call for any financial inputs from I.A.A.I. I.A.A.I. would be providing only experts : technicians for which the actual expenditure plus a margin money of 15 - cent is to be paid by the client.

(e) The payments outstanding as on 31-7-87. in respect of the new collaboration agreement amount to 19,358.545 LD.

(f) The last ad-hoc payment was received on 2-8-87 and the arrears are pending w.e.f. 31-7-87.

शिक्षकों के रिक्त पदों का भरा जाना

2926. **कुमारी सईदा खातून :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग में विभिन्न ग्रेडों के शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रति वर्ष भरा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये बनाये गये नियम क्या हैं और क्या इन नियमों की जांच करने के लिये कोई समिति गठित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति का गठन कब तक किया जाएगा और क्या इसका गठन राज्य, जिला, संभाग स्तर पर किया जाना है ; और

(घ) क्या इस समिति में सांसदों, विधायकों, व्याख्याताओं, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा निम्न श्रेणी शिक्षकों को शामिल किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षकों को नियुक्ति नहीं करता। शिक्षकों की नियुक्तियां राज्य सरकारों /संघ शासित प्रशासनों आदि द्वारा की जाती हैं जिसके लिये उनके अपने ही नियम तथा कार्यवाहियां होती हैं। शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने न तो इस संबंध में नियमों की जांच करने के लिये किसी समिति का गठन किया है और न ही कोई ऐसी समिति गठित करने का प्रस्ताव है

आदिवासी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक तथा सिद्ध में अनुसंधान और प्रशिक्षण

2927. **श्री रशीद मसूद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक और सिद्ध में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों से ऐसी कुछ दवाओं के नमूने, नुस्खे तथा उनसे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त की है जिन्हें आदिवासी लोगों द्वारा अपने उपचार के लिये प्रयोग में लाया जाता है;